आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

बी०एल०डी०आर० अपील वाद संख्या–174/2023

1. अवधेश सिंह, पिता–स्व0 रामदहिन राय

बनाम

1. बिहार सरकार मार्फत भूमि सुधार उप समाहर्ता, महाराजगंज।
2. सुदामा ठाकुर, पिता–सुरज ठाकुर।

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

अपीलकर्त्ता की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, गौतम उपाध्याय एवं चितरंजन सिंह।

प्रतिवादी सं०–01 के तरफ से :–विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

प्रतिवादी सं०–02 के तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, श्री चंद्रभूषण पाण्डेय।

आदेश

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
22.10.2024 **01.11.2024**	प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महाराजगंज द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–16 / 2022–23 में दिनांक–20.01.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा इस स्तर पर दायर किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि खाता सं0–69, सर्वे सं0–797, रकबा–1 कट्ठा 1 धुर 10 धुरकी, जिसकी चौहद्दी–उत्तर संगम राय, दक्षिण–नीज, पुरब–सड़क, पश्चिम–धेनुक राय के विषय में इस स्तर पर दायर अपीलवाद स0–174 / 2023 को अपीलकर्ता वापस लेना चाहते है तथा इस निमित्त उनके द्वारा दिनांक–10.07.2024 को अपना आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं जतायी गयी है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में अपीलकर्ता को अपना अपील आवेदन वापस लेने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार, प्रस्तुत वाद को **"Dismissed as withdrawn"** किया	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	जाता है। आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त।	

WEB COPY NOT OFFICIAL